न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2021/ 1460 दिनांक 08/11/2021

प्रार्थीगण :-
1.चेना पुत्र अमरा एवं
विप्रार्थी सं. 2 से 15
जातियान मेघवाल, निवासी आलमसर
तहसील धनाऊ

विप्रार्थीगण:-
1.कचरा पुत्र हैदर एवं
विप्रार्थी सं. 2 से 38
निवासी आलमसर, तहसील धनाऊ
39.तहसीलदार धनाऊ

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 06/2019 दिनांक : **02.11.2021**

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र आलमसर के मौजा आलमसर के खेत खसरा सं. 307 रकबा 00.12 बीघा, खसरा सं. 1017/308 रकबा 288.06 बीघा, खसरा सं. 1019/313 रकबा 86.04 बीघा, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे|

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

(SDO) चौहटन उपखण्ड अधिकारी

क्रमांक/भू.अ./2021/ 1461 to 1464 दिनांक 08/11/2021

प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थीगण चैना वगैरा
3. विप्रार्थीगण कचरा वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धोरीमन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:45:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन